न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 61 / 2009

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 सोहनलाल पुत्र नारायणराम।
2 गोपाल पुत्र नारायणराम।
3 पोखर पुत्र नारायणराम।
4 भोपाल पुत्र नारायणराम।
5 रामपाल पुत्र नारायणराम।
6 चावली बेवा नारायणराम।
7 भगवाना पुत्र मांगूराम समस्त जाति जाट निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार महोदय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 गोरधन पुत्र मांगूराम।
3 भागीरथ पुत्र मांगूराम।
4 रिछपाल पुत्र मांगूराम समस्त जाति जाट निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.08.2009
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय दांतारामगढ़
बसिलसिले अनुवानी सोहनलाल आदि बनाम तहसीलदार
अन्तर्गत धारा 212 रा. ब्वि. एक्ट मु.नं. 50 / 2009

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—22/1/19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 50/2009 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 विवादित आ. खसरा नम्बर 381,385,386,387,388,396,397 तन ग्राम लाडपुर के खातेदार काश्तकार इनका गत खसरा नम्बर 198 रकबा 23 बिघा हैक्टेयर रास्ता खसरा नम्बर 383,384 का गत खसरा नम्बर 199 हैक्टेयर हाल ही में सेंटलमेंट विभाग द्वारा तहसील दांतारामगढ़ की पैमाईस समाप्त की गई उस समय मौके व वास्तविकता के विपरित खसरा नम्बर 382 रकबा 0.06 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता सेटलमेन्ट विभाग ने सर्वथा नया कायम रक दिया जो कभी भी मौके पर नही रहा न वह आगे कही जाता है। रास्ता गत खसरा नम्बर 199 गत भूमि खसरा नम्बर 198 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे अपीलांट के आवासीय मकानों तक आने जाने का रहा है उसे हाल सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने मौके के सर्वथा विपरित कायम कर दिया व नया रास्ता खसरा नम्बर 382 कायम कर दिया नया परिवर्तन राजस्व रिकार्ड मे करने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकारी नही है। अपीलांट रास्ता दुरूस्त किए जाने व रिकार्ड में संशोधन हेतु दावा व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय दांतारामगढ़ के यहां प्रस्तुत किया। जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनकर दिनांक 24.03.2009 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 381,385,388,383,384 के रिकार्ड व मौके की

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यथास्थिति बनाये रखे जाने की आज्ञा पारित की, अप्रार्थी/रेस्पोडेंट न्यायालय में उपस्थित आया व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया व एक आवेदन स्थगन हटाये जाने का दिनांक 16.06.2009 का प्रस्तुत किया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब प्रस्तुत हुए दिनांक 12.08.2009 को दोनों पक्षो को सुना जाकर पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.03.2009 को निरस्त करते हुए आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व कानूनी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 381,385,386,387,388,396,397 तन ग्राम लाडपुर स्थित है जिनका गत खसरा नम्बर 198 है उक्त भूमि के पूर्वी साईड में सीमा के सहारे–सहारे अपीलांट की आवासीय गुवाडियों में आवागमन का रास्ता गत खसरा नम्बर 199 हमेशा से रहा है उक्त रास्ता आगे किसी अन्य ग्राम या किसी खेत में आवागमन का कभी नही रहा। उक्त रास्ते को हाल सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 199 रास्ता को सही जगह अंकित नही किया तथा पैमाईस के समय दक्षिणी साईड मे आगे तक रास्ता खसरा नम्बर 382 सर्वथा नया रास्ता कायम कर दिया जबकि सेटलमेन्ट विभाग को नया रास्ता कायम करने का कोई अधिकारी नही है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सर्वथा नया रास्ता कायम करने का अधिकारी न होते हुए भी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मौके के सर्वथा विपरित नया रास्ता कायम करने के तथ्य को समझे बिना ही अपनी आज्ञा जेर अपील पारित करने में गलती की है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रयुक्त तीनो सिद्वान्त प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के सिद्वान्तों पर अपना विवेचन किए बिना व उन पर फाइडिंग दिये बिना दिया गया निर्णय की परिभाषा में ही नही आता योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने टी.आई.के किसी भी सिद्वान्त पर अपना निर्णय पारित नही किया है अत आज्ञा जेर अपील स्थिर रहने योग्य नही है। अपीलांट का मामला प्रथम दृष्टया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मामला व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अपीलांट के पक्ष में होते हुए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन अस्वीकार करने में गलती की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 384 रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता एवं आवागमन के काम में आ रहा है न्यायालय के स्थगन की आड़ में अपीलांट रास्ते को बन्द करने पर आमद है विवादित भूमि राजकीय भूमि है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 384 रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता एवं आवागमन के काम में आ रहा है न्यायालय के स्थगन की आड़ में अपीलांट रास्ते को बन्द करने पर आमादा है विवादित भूमि राजकीय भूमि है। ऐसी भूमियों पर अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक भूल नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
उप संभाग अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर